Multidisciplinary International Magazine
(Peer-Reviewed)
ISSN: 2454-2725, Impact Factor: GIF 1.888
www.jankriti.com
Volume 6, Issue 69-70, Jan-Feb 2021

JANKRITI जनकृति

भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय की स्थिति

बहु-विषयक अंतरराष्ट्रीय पत्रिका
(विशेषज्ञ समीक्षित)
ISSN: 2454-2725, Impact Factor: GIF 1.888
www.jankriti.com
वर्ष 6, अंक 69-70, जनवरी-फरवरी 2021

Prof. Rajesh
Transgender Resource Center
Department of Adult Continuing Education & Extension
Faculty of Social Sciences
University of Delhi
Email ID: rajeshkumar@yahoo.co.in

Vishal Kumar Gupta
Research scholar
Transgender Resource Center
Department of Adult Continuing Education & Extension
Faculty of Social Sciences
University of Delhi
Email ID: vishaldujnu@gmail.com

सारांश

हमारा पूरा समाज दो स्तंभों पर टिका हुआ है 'स्त्री' और 'पुरूष'। सामान्यत दोनों का कार्य आपसी सामंजस्य से वंशावली एवं मानव जाति को आगे बढ़ाना है। हमारे समाज में इन दोनों लिंगों के साथ-साथ एक अन्य लिंग भी अस्तित्व में है जो न तो स्त्री वर्ग से आता है और न ही पुरूष वर्ग से, जो संबंध तो बना सकते हैं, लेकिन गर्भ धारण नहीं कर सकते। सभ्य समाज में इनके लिए किन्नर शब्द प्रयुक्त होता है। वहीं जनसामान्य में इन्हें हिजड़ा, कोठी, छक्का, जोगप्पा, शिव-शक्ति, थिरूनंबी, उभयलिंगी, ख्वाजासरा, खोजवा, नपुंसक, खिचड़ी, इंटरसेक्स इत्यादि नामों से संबोधित किया जाता है। ट्रांसजेंडर समुदाय भारतीय समाज का महत्वपूर्ण अंग है। किंतु ट्रांसजेंडर समुदाय के विकास का प्रश्न देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना के बाद से ही अदृश्य रहा है। आजादी के 73 वर्ष बाद भी ट्रांसजेंडर समुदाय आज भी भारत के अत्याधिक पिछड़े अल्पसंख्यक समुदायों में एक है। उन्हें राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़ना और उन तक विकास की पहुंच बनाना बहुत बड़ी चुनौती है। उपरोक्त संदर्भ में प्रस्तुत लेख पूर्व औपनिवेशिक, औपनिवेशिक एवं उत्तर-औपनिवेशिक काल में ट्रांसजेंडर समुदाय की स्थिति का आलोचनात्मक विश्लेषण करने का प्रयत्न करता है।

मुख्य शब्द : *जेंडर, ट्रांसजेंडर, ट्रांसमैन, ट्रांसवूमेन, नालसा फैसला (2014), अपराधशील जनजाति अधिनियम, (1871)।*

भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय की स्थिति

प्रस्तावना

ट्रांसजेंडर शब्द व्यापक रूप में जेंडर विविधता (होमोसेक्सुअल, बायसेक्सुअल, ट्रांसमैन, ट्रांसवूमेन, ट्रांससेक्सुअल) को प्रस्तुत करता है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय संदर्भ में ट्रांसजेंडर्स को किन्नर शब्द पहचान से जाना जाता रहा है, जो अपनी विविध क्षेत्रीय पहचानों (हिजड़ा, कोठी, छक्का, जोगप्पा, शिव-शक्ति, थिरूनंबी, उभयलिंगी, ख्वाजासरा, खोजवा, नपुंसक, खिचड़ी, इंटरसेक्स) के नाम से भी जाने जाते हैं।

ट्रांसजेंडर

ट्रांसजेंडर ऐसे व्यक्ति जिनकी पहचान बचपन के समय किसी एक लिंग में हुई लेकिन जब वह बड़े हुए तो स्वयं को विपरीत लिंग का समझने लगे। इनको हम मुख्यतः दो भागों में विभाजित कर सकते हैं।

ट्रांस मैन/ ट्रांस पुरूष/ट्रांस मर्दाना/ महिला-से-पुरुष/ (एफ-टू-एम)

ट्रांस पुरूष वह होता है जिसका जन्म एक लड़की के रूप में हुआ हो। उसका पालन-पोषण एक लड़की की तरह हुआ हो, लेकिन जैसे-जैसे वे बड़े होते हैं खुद को एक पुरुष मानते हैं।

ट्रांस वूमैन / ट्रांस महिला /पुरुष-से-महिला/ (एम-टू-एफ)

ट्रांस पुरुष के विपरीत ट्रांस महिला वह होती है जिसका जन्म एक लड़के के रूप में हुआ हो। उसका पालन-पोषण एक लड़के की तरह हुआ हो, लेकिन अपनी किशोरावस्था में वह खुद को एक स्त्री मानती है।

भारत में किन्नरों के सात घराने है। जैसे मुंबई का घराना, पुणे का घराना, हैदराबाद का घराना आदि। यह घराने नए नहीं है अपितु यह सदियों से चले आ रहे हैं। जैसे कुछ ट्रांसजेंडर पुरातन समय में राज दरबार में या रानियों की सेवा में कार्यरत रहते थे और कुछ मंदिरों में सेवा प्रदान किया करते थे। उनके कार्यक्षेत्र के अनुसार उनके घरानों के नाम पड़ गए हैं। इस प्रकार यदि कोई ट्रांजेंडर किसी भी घराने का चेला/शिष्य बनता है या गद्दी पर आसीन होता है तो वह उसी घराने की रीति-रिवाजों एवं परंपरा को आगे बढ़ाता है। इनके समाज में एक नायक/ वरिष्ठ गुरु होता है, जो इनका मुखिया होता है। यह वरिष्ठ

गुरू अपने समाज के लिए आध्यात्मिक नेता जिसे गुरु कहा जाता है, को नियुक्त करता है और अपने चेलो को बधाई रस्म के लिए नाचना, गाना एवं आशिर्वाद देने जैसे रीति-रिवाज सिखाता है। यह चेलों के झगड़े का सामाधान कर दोषी को दंडित भी करता है। साथ ही साथ अपने चेलों को संरक्षण भी प्रदान करता है।

बीसवीं शताब्दी का औपनिवेशिक भारतीय समाज भिन्न-भिन्न वर्ग एवं सामुदायिक पहचान के संकट से गुजरा। सदी के अंत तक अनेक विमर्श उभर कर सामने आए विशेषत: स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श इत्यादि। इन विमर्शों में मुख्यतः अस्मिता या यूं कहें की पहचान का प्रश्न प्रमुख था। इसी प्रकार एक अन्य मानवीय समस्याग्रस्त समुदाय (ट्रांसजेंडर) है, जो अपनी पहचान के लिए इतिहास के सभी काल खंडों से संघर्षरत रहा है। उपर्युक्त विमर्श की तरह समकालीन दौर में यह विमर्श भी उभरने लगा है।

वैश्विक परिदृश्य में देखें तो ट्रांसजेंडर समुदाय ने अपने मानवाधिकारों की प्राप्ति हेतु लंबी लड़ाई लड़ी है। ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, पाकिस्तान, नेपाल इत्यादि देशों में यह वर्ग तीसरे लिंग के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुका है। वहीं भारत में 2014 नालसा फैसले अप्रैल, 2014 को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति के. एस. राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी की खंडपीठ ने केंद्र एवं राज्य सरकारों को ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता प्रदान करने की बात की है एवं सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के नागरिकों के समान व्यवहार करने तथा उन्हें शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश और सरकारी नौकरियों में ओबीसी की तरह आरक्षण उपलब्ध कराने को कहा है। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से प्रस्तुत लेख को तीन खण्डों पूर्व औपनिवेशिक, औपनिवेशिक एवं उत्तर-औपनिवेशिक काल में ट्रांसजेंडर समुदाय की स्थिति में विभाजित किया गया है।

पूर्व औपनिवेशिक काल में ट्रांसजेंडर समुदाय की स्थिति

ट्रांसजेंडर हमेशा से इतने उपेक्षित नहीं रहे हैं जितने कि अब। समाज का यह अंग आज से नहीं बल्कि आदिकाल से ही बल्कि महाभारत काल से एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में जाने जाते रहे हैं। ऐतिहासिक विवरणों में रामायण, महाभारत, आचार्य कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र, कामसूत्र एवं उसके पश्चात् मुगलकालीन इतिहास में भी इस संदर्भ में अनेक विवरण मौजूद है।

हमें इस विषय में अर्धनारीश्वर की धारणा के उल्लेख से स्पष्ट होता है कि शिव और शक्ति का संयुक्त रूप अर्धनारीश्वर की परिकल्पना को आकार प्रदान करता है। यदि ट्रांसजेंडर समुदाय की बात की जाए तो वे स्वयं ही अर्धनारीश्वरता को साकार करते हैं।

रामायण के घटनाक्रम का एक प्रसंग भी इस विषय में हमें जानकारी उपलब्ध कराता है। रामायण में यह वर्णन किया गया है कि राम के वनवास के समय सैकड़ों अयोध्यावासी उनके पीछे जाने लगे तो राम ने स्त्रियों और पुरुषों को अयोध्या वापस लौट जाने का अनुरोध किया। उन्होंने ट्रांसजेंडर को कोई निर्देश नहीं दिया। क्योंकि न तो वह स्त्री थे और न ही पुरूष। अतः उन्होंने ऐसे में 14 वर्षों तक राम की प्रतीक्षा करना ही उचित समझा। इस निष्ठा और भक्ति के बदले राम ने उनको आशीर्वाद देने की शक्ति प्रदान की। ऐसा कहा जाता है कि तभी से ट्रांसजेंडर समाज के लिए बधाई जैसी रस्म उनकी परम्परा का अनिवार्य अंग बन गए।

महाभारत में पांडवों ने अपने अज्ञातवास काल में अर्जुन ने 1 वर्ष किन्नर के रूप में वृहन्नता के नाम से बिताया था। महाभारत काल में इसी संदर्भ में एक अन्य संदर्भ शिखंडी नामक योद्धा का है। जिसकी मदद से अर्जुन ने भीष्म पितामह का वध किया था। इसके अतिरिक्त एक अन्य संदर्भ में समुद्र मंथन से निकला अमृत असुरों को न मिले इसके लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर असुरों को भ्रम में डाला तथा अपने मोहनी रूप से उन्हें अमृत पान से वंचित कर दिया। पुरूष के स्त्री पक्ष को हम जातक कथाओं के माध्यम से समझ सकते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि उपरोक्त भूमिकों से ही तृतीय लिंग की भावना को बल मिला।

आचार्य कौटिल्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में भी किन्नर का उल्लेख मिलता है। उस काल में राजा किन्नर को अपने निजी सुरक्षाकर्मियों के तौर पर तैनात करते थे और जासूसी जैसे विभागों के अंतर्गत भी उनको तैनात किया गया था।

हिंदू और मुस्लिम शासकों द्वारा किन्नर का इस्तेमाल मुख्यतः अंत:पुर और हरम में रानियों की पहरेदारी के लिए किया जाता था। इसके पीछे सोच यह थी कि रानियां पहरेदारों से अवैध संबंध स्थापित नहीं कर पाएगी। दिल्ली की सल्तनत के दौरान किन्नर महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में किन्नर वरिष्ठ सैन्य अधिकारी रहे हैं। खिलजी का एक प्रमुख अधिकारी मलिक गफूर

था, जो एक किन्नर था। उसी के प्रयासों से खिलजी ने दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। जहांगीर के शासनकाल में कई किन्नर महत्वपूर्ण पदों पर थे। एक ख्वाजा सराय हिलाल प्रमुख प्रशासनिक पद पर था। उन्हीं के शासन में इफ्तिखार खान नामक एक किन्नर भी था। बाद में जहांगीर ने उसे एक जागीर का फौजदार बना दिया। इस प्रकार उपरोक्त विवरण के आधार पर हम कह सकते है की वैदिक काल और मुगल काल में किन्नर समुदाय को कई क्षेत्रों में उच्च स्थान प्राप्त था।

औपनिवेशिक काल में ट्रांसजेंडर समुदाय की स्थिति

औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों द्वारा निर्मित कानून किन्नर समुदाय को नियंत्रित करने में एक बहुत शक्तिशाली हथियार साबित हुए। परिणामतः हिजड़ा और कोठी जैसे समूहों के अस्तित्व को ही अपराधी घोषित कर दिया गया था। जिसकी वजह से इन लोगों के जीवन में पुलिस एक खतरनाक हकीकत बन जाता है। फौजदारी कानूनों के अलावा दीवानी कानून भी इन लोगों की नागरिकता और समानता की मांगों के प्रति खामोश है। इस काल में निर्मित 1871 का 'अपराधशील जनजाति अधिनियम' के अंतर्गत इन समुदायों और कबीलों को जन्मजात अपराधी मान लिया गया था। सरकार का मत था कि इनमें आपराधिक भावना पीढ़ीनीच पर –पीढ़ी कायम रहती है। यह सोच ऊंच–दर–आधारित भारतीय सामाजिक व्यवस्था के लिए भी बहुत अनुकूल थी, जिसके अंतर्गत कुछ समुदायों को जन्म से ही गंदा और अधिकारहीन माना जाता रहा है। अपराधशील जनजातियों की यह धारणा इस सोच पर आधारित थी कि एक व्यवसाय के रूप में अपराध संबंधित अपराधी जाति की एक पीढ़ी से ' अगली पीढ़ी में चला जाता है, जैसे कोई लोहार अपने हुनर को अपने बच्चों को सौंप देता है उसी तरह आनुवांशिक रूप से अपराधशील जनजातियों के लोग भी अपने इस व्यवसाय को अपनी संतानों को सिखा देते हैं। इस प्रावधान का परिणाम यह हुआ कि अपराधशील जनजातियों के दैनिक जीवन में पुलिस एक कड़वी सच्चाई और बड़ा खतरा बन गई थी।

इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्रांसजेंडर को चोर मानने वाली मौजूदा सोच और उनके साथ होने वाली बर्बर हिंसा की जड़ें भी इस औपनिवेशिक कानून में स्पष्टतः दिखाई देती हैं, जो भले ही कहने को तो अब खत्म हो चुका है, लेकिन कानून के व्यवहार और संस्कृति में यह आज भी पूरी तरह जीवित है।

उत्तर-औपनिवेशिक काल में ट्रांसजेंडर समुदाय की स्थिति

उत्तर-औपनिवेशिक काल में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत सभी नागरिकों को सामान अधिकार प्रदान किये गए। नई सरकार ने ट्रांसजेंडर को 1951 में 'अपराधशील जनजाति अधिनियम' से बाहर निकाल दिया, परंतु ट्रांसजेंडर समुदाय की कोई लैंगिक पहचान न होने कारण उन्हें अपमान, अनादर एवं समाज की मुख्यधारा से वंचित होना पड़ा। भारतीय दंड संहिता की धारा 377, 1986 का 'अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम' और 'प्रादेशिक भिक्षावृत्ति कानून' तथा दीवानी कानून इस समुदाय के साथ ऐतिहासिक रूप में अभी भी उन्हें सम्मानपूर्ण जीवन जीने के अधिकार से वंचित किए हुए हैं। उत्तर-औपनिवेशिक काल में अपनी भिन्न लैंगिक पहचान के कारण सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से ट्रांसजेंडर समुदाय के पुनर्वास, उनके जीवन स्तर में सुधार, समाजिक संरक्षण आदि के लिए सरकार के स्तर पर कोई विशेष प्रयास नहीं किया गया, जैसा कि दलित, आदिवासी एवं महिलाओं के लिए किया गया है। भारतीय नागरिक होने के बावजूद ट्रांसजेंडर संविधान प्रदत्त अपने मूल अधिकारों (नालसा फैसला के पहले तक) वंचित थे। जहां तक इस समुदाय की जनसंख्या की बात है तो सन् 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 4.8 लाख है।

सन् 1990 के दशक में हाशियाकृत इस समुदाय में भी अपने अधिकारों के लिए जागरूकता आई है। अस्मिता के बोध के कारण सामाजिक दृष्टि से उपेक्षित इस समुदाय के कुछ लोगों में राजनीतिक चेतना में वृद्धि देखी गई है। सन् 1994 में मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन ने ट्रांसजेंडर के मतदान के अधिकार को मंजूरी दी। इससे ट्रांसजेंडर को राजनीति में प्रवेश का मार्ग मिला। ट्रांसजेंडर को महिला मतदाताओं के रूप में दर्ज किया जाने लगा। राजनीति में सर्वप्रथम सफलता प्राप्त करने वाली ट्रांसजेंडर हरियाणा के हिसार की शोभा नेहरू है। वह 1995 में हुए नगर-निगम के चुनाव में पार्षद चुनी गई इसके पश्चात श्री गंगानगर राजस्थान में ट्रांसजेंडर बसंती पार्षद बनी। मध्यप्रदेश में ट्रांसजेंडर को राजनीति में अच्छी सफलता मिली। सन् 2002 में वहां ट्रांसजेंडर विधायक, पार्षद एवं महापौर थे। देश की सर्वप्रथम विधायक शबनम मौसी शहडोल जिले के सोहागपुर विधानसभा सीट से विजयी हुई। ट्रांसजेंडर की अस्मिता के संघर्ष में सकारात्मक पडाव तब आया जब नवंबर, 2009 में चुनाव आयोग ने इनको 'अन्य' की श्रेणी में सम्मिलित कर वोटर कार्ड जारी किया था।

ट्रांसजेंडर समुदाय के सशक्तिकरण हेतु प्रयास

- सन् 2001 की जनगणना में ट्रांसजेंडर वर्ग को पुरुषों में गिना गया था। अप्रैल, 2008 में तमिलनाडु सरकार ने 50 लाख के वार्षिकी बजट के साथ एक ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड का गठन किया था। समाज कल्याण मंत्री को इस बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था एवं इसकी अन्य नियुक्तियो में वित्त एवं विधिक विभागों के सचिव तथा महिला आयोग, पुलिस व राज्य मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिकारी भी सम्मिलित किए गए हैं। यह प्रयास न केवल हमारे देश में बल्कि संभवत: पूरे विश्व में अपनी तरह का पहला प्रयास है। इस बोर्ड का मुख्य उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय के सामने आने वाली विभिन्न समस्याओं का विश्लेषण करना तथा इस समुदाय की भलाई हेतु कल्याणकारी योजनाएं निर्धारित कर उनको क्रियान्वित करना भी है।

- 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017) पहला ऐसा मौका था जब योजना आयोग ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए विशेष सिफारिशों पर बल दिया था। आयोग के अनुसार 12वीं पंचवर्षीय योजना में ट्रांसजेंडर वर्ग के सशक्तिकरण पर ध्यान दिया जाएगा और इसके लिए यह सुझाव दिया गया कि संबंधित मंत्रालय उनकी स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास सुविधाओं तक पहुंच, रोजगार एवं कौशल विकास योजनाओं के लिए मदद दें और उपयुक्त आर्थिक सहायता उपलब्ध भी कराएं। योजना दस्तावेज में ट्रांसजेंडर को सभी सरकारी और गैर-सरकारी रिकॉर्ड में तीसरे लिंग के रूप में मान्यता देने का सुझाव देने के साथ-साथ सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय और संख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय का आवाहन किया गया था कि वह भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय की संख्या और उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का पता लगाएं ताकि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके।

- ट्रांसजेंडर समुदाय के अस्मिता के संघर्ष का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव नालसा फैसला, 2014 था। जिसमें ट्रांसजेंडर लोगों की उपस्थिति को वैध मानते हुए इनको कानूनी रूप से एक तीसरे लिंग श्रेणी के रूप में दर्जा दिए जाने का निर्देश दिया गया है। इसी संदर्भ में ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2019 को पारित तथा ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम 2020 ड्राफ्ट प्रकाशित किया गया है। इनमे ट्रांजेंडर व्यक्ति की परिभाषा, ट्रांस व्यक्ति के विरुद्ध विभेद का निषेध, लिंग पहचान

का अधिकार, पहचान-पत्र, शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना एवं उपरोक्त संदर्भ में बनने वाले उपबंधों के उल्लंघन करने के संबंध में दंड का प्रावधान सुनिश्चित करना इत्यादि व्याख्यित है।

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जून, 2017 में डॉ. के. कस्तूरीरंजन की अध्यक्षता में गठित समिति ने 31 मई, 2019 में देश की शिक्षा व्यवस्था पर नई शिक्षा नीति रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें देश में प्रथम बार रिपोर्ट के अध्याय 6 के अंतर्गत महिलाओं, दलितों, आदिवासियों एवं दिव्यांगो के साथ ट्रांसजेंडर को भी समतामूलक एक समावेशी शिक्षा के अंतर्गत स्कूली शिक्षा में उनकी भागीदारी को बढ़ाने तथा इस संदर्भ में आने वाली चुनौतियों पर विशेष बल दिया गया है।

- वर्ष 2016 के महाकुंभ में भी इस परिवर्तन की झलक दिखाई दी। उज्जैन में आयोजित सन् 2016 का महाकुंभ इस बात का प्रमाण था कि ट्रांसजेंडर के प्रति समाज के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया है। इस महाकुंभ में पहली बार ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक अलग स्थान नियत किया गया। लाखों भक्तों ने उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया साथ ही इस वर्ग पर पुनरावलोकन की पहल की।

- 2017 में कोच्चि मेट्रो में 23 ट्रांसजेंडर्स को नौकरी मिलना इस वर्ग की लैंगिक न्याय की दृष्टि से बड़ा कदम माना जा सकता है।

- शिक्षा से दूर इस समुदाय की समस्याओं के संदर्भ में 'इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी' ने ट्रांसजेंडर को पूरे भारत में कहीं भी मुफ्त शिक्षा देने की घोषणा की है।

- नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने (एनएमआरसी) 27, अक्टूबर मंगलवार को अपने द्वारा संचालित एक्वा लाइन मेट्रो कॉरिडोर के सेक्टर-50 मेट्रो स्टेशन का आधिकारिक नाम ,रखते हुए 'प्राइड स्टेशन' इसे ट्रांसजेंडर समुदाय को समर्पित किया। इसका उद्घाटन पूर्व केंद्रीय मंत्री एवंगौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉ. महेश शर्मानोएडा से भाजपा विधायक पंकज सिंह तथा नोएडा प्राधिकरण की मुख्य , कार्यपालक अधिकारी ऋतु माहेश्वरी ने किया।

इस कार्यक्रम में ट्रांसजेंडर समुदाय के वे छह सदस्य भी उपस्थित थे जिन्हें एनएमआरसी ने मेट्रो स्टेशन पर सेवा के लिए ठेकेदारों के माध्यम से भर्ती किया है। प्राइड स्टेशन की खास बात ये है कि यहां का संचालन ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग ही करेंगे।

इस प्रकार हम देखते हैं कि समय-समय पर कहानियों, नाटकों, उपन्यासों में ट्रांसजेंडर पात्र आते रहे हैं लेकिन उनका उल्लेख मुख्य पात्र के रूप में नहीं हुआ है। विगत दो दशकों में ट्रांसजेंडर समुदाय ने अपने सामाजिक अधिकारों की लड़ाई लड़ने की पहल की है। जिसके परिणामस्वरूप राजनीति, शिक्षा और फैशन जगत में ट्रांसजेंडर्स को महत्वपूर्ण पद एवं दायित्व प्राप्त हुए हैं। शबनम मौसी, कमला जान, आशा देवी, कमला किन्नर, मधु किश्वर और ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी इसमें प्रमुख नाम है। देश की पहली किन्नर प्राचार्य मानवी बंदोपाध्याय और पहली किन्नर वकील तमिलनाडु की सत्यश्री शर्मिला ने साबित कर दिया है कि ट्रांसजेंडर किसी भी विद्वत स्त्री-पुरूष की भांति बुद्धिजीवी वर्ग की ऊंचाइयों को छू सकते है।

एक ट्रांजेंडर की यही इच्छा होती है कि उसे भी सामान्य मनुष्य की भांति जीवन जीने का अधिकार हो, उसके साथ अछूतों जैसा व्यवहार न किया जाए। कोई भी शिशु ट्रांसजेंडर कहलाने से पहले अपने माता-पिता की संतान होता है, किंतु माता-पिता ट्रांसजेंडर होने के कारण उन्हें त्याग देते हैं। इनके माता-पिता के संबंध मे कटु सत्य यह भी है की यदि संतान पूर्ण स्वस्थ हो, केवल उनमें यौनिक कमी हो तो वह उन्हें स्वीकार्य नहीं है। वह अपनी शानो-शौकत, कुल की मान-मर्यादा, साख एवं समाजिक परिस्थितियों के समक्ष अपनी संतान को त्याग देते हैं और उन्हें ट्रांसजेंडर समुदायों के हवाले कर देते हैं। इस प्रकार एक मासूम जिसे पता भी नहीं होता कि उसका अपराध क्या है? खानदान, कुल, वंश, इज्जत आदि के नाम पर बलि चढ़ा दिए जाते है। आवश्यकता है सोच बदलने की, संवेदनशील एवं समावेशी वातावरण निर्माण की।

इस प्रकार संक्षेप में कहा जा सकता है कि ट्रांजेंडर समुदाय में चेतना, सरकारी नीति-निर्माण एवं क्रियान्वयन, सामाजिक मानसिकता में बदलाव तथा शिक्षा व्यवस्था के समान अवसर मिलने से ट्रांसजेंडर समुदाय भी समाज की मुख्यधारा में जुड़कर समाज के विकास में योगदान देगा।

निष्कर्ष

इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है की वैदिक काल और मुगल काल में ट्रांसजेंडर समुदाय को कई क्षेत्रों में उच्च स्थान दिया गया, लेकिन उन्हें औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश

औपनिवेशिक नियमों के कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। उत्तर-औपनिवेशिक काल में ट्रांसजेंडर समुदायों के सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा कई नीति और योजनाएं लागू की गई हैं।

ट्रांसजेंडर समुदायों की स्थिति को मजबूत बनाया जाना एक बहुआयामी प्रक्रिया के साथ-साथ एक बहुआयामी चुनौती भी है। शक्तिशाली को शक्तिहीन बनाने की अपेक्षा अशक्त को सशक्त बनाना अधिक चुनौतिपूर्ण और कठिन कार्य है। इसलिए ट्रांसजेंडर समुदायों के सशक्तिकरण को एक सामाजिक अभियान के रूप में स्वीकार करने की आवश्यकता है। यह समाज के सभी व्यक्तियों के दृष्टिकोण, विचार, क्रियाएं, व्यवहार व संबंधों के बदलाव पर आधारित है।

संक्षेप में, उतर औपनिवेशिक काल से ही ट्रांसजेंडर समुदाय की स्थिति सुधारने के लिए कई कार्यक्रम, योजनाएं, नीतियां एवं उपाय अपनाये गए है। भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय की स्थिति को असमानता से समानता तक लाने के सकारात्मक और सतत् प्रयास होते रहे है। वर्तमान समय में कानूनी और संविधानिक रूप से भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय को महिलाओं और पुरुषों के बराबर समानता का दर्जा प्राप्त है। ट्रांसजेंडर किसी भी प्रकार की शिक्षा या प्रशिक्षण, जो उन्हें आजीविका दिला सके को चुनने के लिए स्वतंत्र है। वे कोई भी विशेष या उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब हम सामाजिक वास्तविकता को देखते है तो पता चलता है कि जहां एक ओर शहरी शिक्षित ट्रांसजेंडर का एक छोटा वर्ग ही अधिकृत वैधानिक और उन्नतिशील कार्यक्रमों का लाभ उठा रहा है तो दूसरी ओर समाज में लिंग भेद चला ही आ रहा है। साथ ही कुछ मामलों में तो हिंसा और ट्रांसजेंडर के विरुद्ध अपराध के रूप में यह और भी बदत्तर हो गया है। अंततः हम कह सकते है कि, ऐसा नहीं है कि ट्रांसजेंडर समुदायों की स्थितियां बदली नहीं है, लेकिन अभी भी इस दिशा में बहुत कुछ किया जाना शेष है... ।

संदर्भ सूची

1. Tripathi, Laxminarayan (2015). Me Hijra, Me Laxmi.Delhi: Oxford University Press.

2. Nanda Serena (1998). Neither man nor woman: the Hijras of India. Canada: Wadsworth Publishing Company.
3. मुदगल, चित्रा (2017). पोस्ट बॉक्स नं. 203-नाला सोपारा. नई दिल्ली: सामयिक प्रकाशन.
4. भुराडिया, निर्मला (2016). गुलाम मंडी. नई दिल्ली: सामयिक प्रकाशन.
5. भीष्म, महेन्द्र (2018). किन्नर कथा. नई दिल्ली: सामयिक प्रकाशन.
6. माधव, नीरजा (2009).यमदीप. नई दिल्ली: सामयिक प्रकाशन.
7. सौरभ, प्रदीप (2011). तीसरी ताली. नई दिल्ली: वाणी प्रकाशन.
8. NALSA Judgment (2014). Retrieved Febuary 10, 2021, from https://www.lawyerscollective.org/wp-content/uploads/2014/04/Transgender-judgment.pdf

9. National Education Policy (2020). Retrieved Febuary 10, 2021, from

https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_

0.pdf